

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कॅम्प कोर्ट)

कॅम्प कोर्ट का स्थान..... लालाने

दिनांक :- 27/11/23

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लालने व भू-अभिलेख निरीक्षक तिहड़वा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशांका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लालने तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 54 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दखानद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	लालाने	54	शोहन पुत्र कर्क 1/5 गाड़ी ला-देह (वारे)	नोलाला पुत्र कर्क 1/5 गाड़ी ला-देह 14 हिदा



(लालने)  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
 उदिनांक अफिसारी कॅम्प कोर्ट 3

क्रमांक / 255/2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ..... को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दखानद होकर किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

(लालने)  
 तहसीलदार  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़